भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3341
दिनांक 13 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

किशोर न्याय अधिनियम

3341. श्री राजेश नारणभाई चुडासमाः
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरे देश, विशेषकर आंध्र प्रदेश में आश्रय की सुविधा प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और इनमें रहने वाले किशोर कैदियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने इन आश्रय गृहों में बाल यौन शोषण और किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित बुनियादी सेवाओं की अनुपलब्धता पर ध्यान दिया है;
(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और (घ) इस तरह की शिकायतों से समयबद्ध तरीके से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : महिला एंव बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सहायता के लिए, जैसा कि किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में परिकल्पित है, केन्द्र प्रायोजित एक स्कीम बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम(पूर्ववर्ती एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम) का कार्यान्वयन कर रहा है। सीपीएससी के अंतर्गत राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को स्वयं या स्वैचिछक संस्थानों/ गैर सकरारी संगठनों (एनजीओ) के साथ मिलकर बाल देखरेख संस्थानों की स्थापना और इनके प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अधिनियम को लागू करने और स्कीम का कार्यान्वयन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। सीपीएस के अंतर्गत समर्थित आंध्र प्रदेश सहित देश भर में गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विशेषीकृत दत्तक ग्रहण (एसएए) और खुला आश्रय सहित कुल बाल देखरेख गृहों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ख) से (घ) : किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम और किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 बनाया गया है जिसके तहत सीसीआई की नियमित निगरानी और जांच अधिदेशित किया गया है। जेजे अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए घरों सहित संस्थानों का पंजीकरण करना आवश्यक है और इसका उल्लंघन किए जाने के मामले में दंड का प्रावधान किया गया है। जेजे अधिनियम की धारा 54 के अनुसार, राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये संस्थान अधिनियम और मॉडल नियम, 2016 के अनुसार चलाए जा रहे हैं, इनकी नियमित जांच

और निगरानी करना आवश्यक है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से कहा गया है कि बच्चों का पुनर्वास पंजीकृत संस्थान के रूप में करने वाले ऐसे सभी सीसीआई को बंद कर दिया जाए जिन्होंने अपना पंजीकरण जेजे अधिनियम,2015 के तहत कराने से इंकार कर दिया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से सभी सीसीआई का जिला मजिस्ट्रेटों से निगरानी कराने का आग्रह किया है और सीसीआई में किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना से बालकों के जीवन में विघ्न पैदा होने के मामले में की जाने वाली कार्रवाइयों से संबंधित परामर्शिका भी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की है।

इसके अतिरिक्त, देश भर में जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (सीपीसीआर) के तहत सांवैधानिक इकाई के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग(एससीपीसीआर) का गठन किया गया है।

*****

अनुलग्नक

'किशोर न्याय अधिनियम' से संबंधित श्री राजेश नारण भाई चुडासमा और श्री मंगुटा श्रीनिवासलु रेड्डी द्वारा 13.03.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3341 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

सीपीएस के अंतर्गत समर्थित (फरवरी,2020 तक)आंध्र प्रदेश सहित देश भर में गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विशेषीकृत दत्तक ग्रहण (एसएए) और खुला आश्रय सहित कुल बाल देखरेख गृहों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	गृह	लाभार्थी	(एसएए)	लाभार्थी	खुला आश्रय	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	9	262
2	अरुणाचल प्रदेश	4	155	1	10	0	0
3	असम	32	1257	21	72	7	104
4	बिहार	10	368	13	132	0	0
5	छत्तीसगढ़	37	1442	12	95	10	127
6	गोवा	14	538	2	16	2	225
7	गुजरात	22	936	5	40	3	60
8	हरियाणा	16	797	6	49	14	425
9	हिमाचल प्रदेश	21	824	1	15	4	91
10	जम्मू और कश्मीर	8	437	0	0	0	0
11	झारखंड	26	830	12	92	5	125
12	कर्नाटक	6	460	19	215	38	1084
13	केरल	1	25	11	222	4	100
14	मध्य प्रदेश	36	1620	25	213	8	374
15	महाराष्ट्र	40	1298	17	170	2	50
16	मणिपुर	40	1284	4	58	14	317
17	मेघालय	14	530	1	3	4	150
18	मिजोरम	26	835	6	24	0	0
19	नागालैंड	25	470	4	5	3	60
20	ओडिशा	83	6027	22	220	12	300
21	पंजाब	2	66	6	77	0	0
22	राजस्थान	55	2686	0	0	20	331
23	सिक्किम	12	424	3	15	3	39
24	तमिलनाडु	152	10005	20	200	11	275
25	त्रिपुरा	11	363	3	27	2	50
26	उत्तर प्रदेश	20	729	7	108	20	517
27	उत्तराखंड	4	125	0	0	3	75
28	पश्चिम बंगाल	51	2672	22	316	49	1226
29	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0
30	अंडमान और निकोबार	7	343	2	10	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10	829	3	59	9	313
36	पुद्दुचेरी	21	875	2	12	2	24
	कुल	**806**	**39250**	**250**	**2475**	**258**	**6704**